झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

:: *संकल्प* ::

श्री पवन कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक–663/03, गृह जिला– हजारीबाग), के विरूद्ध इनके अंचल अधिकारी, तरैया, सारण, बिहार के पद पर पदस्थापन अवधिसे संबंधित प्रपत्र–'क' में आरोप जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा, बिहार के पत्रांक– 180 दिनांक 01.07.2004 द्वारा प्राप्त है। इनके विरूद्ध अंचल कार्यालय, तरैया, सारण के भविष्य निधि से अवैध निकासी करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

उक्त आरोपों के लिए श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया है। श्रीमती शीला किस्कू रपाज, भा0प्र0से0 (वर्त्तमान में सेवानिवृत्त) तत्कालीन आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक– 1/स्था0, गो0 दिनांक 08.01.2011 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन में श्री पवन कुमार, झा0प्र0से0 के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित पाये गये हैं।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रमाणित अरोपों के लिए इन पर विभागीय संकल्प सं0– 6412 दिनांक 14.10.2011 द्वारा निम्न दण्ड अधिरोपित किया गया हैः–

(क) निन्दन की सजा जो सजाकी तिथि से प्रभावी होगी।
(ख) श्री कुमार की पाँच वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती है।
(ग) इन्हें निलम्बन अवधि में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

उक्त संकल्प सं0– 6412 दिनांक 14.10.2011 को संशोधित करते हुए कंडिका– (ग) में उल्लेखित दण्ड यथा ''इन्हें निलम्बन अवधि मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा'' को विलोपित किया जाता है। संकल्प की शेष दण्ड यथावत रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक– 2/आरोप– 349/2007 का॰–...................../राँची, दिनांक–............ सितम्बर, 2012

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि राजपत्र की 50 (पचास) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–
सरकार के उप सचिव ।

कृ0पृ0उ0...2

ज्ञापांक– 2/आरोप– 349/2007 का॰–10576/राँची, दिनांक–12 सितम्बर, 2012

प्रतिलिपि– राज्यपाल, झारखण्ड का कार्यालय/मुख्यमंत्री, झारखण्ड का कार्यालय/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव कोषांग, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर, पलामू/जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा, बिहार/उपायुक्त, लातेहार/श्री पवन कुमार, झा0प्र0से0, विशेष विनियमन पदाधिकारी, लातेहार/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/विभागीय प्रशाखा–2 एवं 2ए (चारित्री कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/9/12

सरकार के उप सचिव ।